समय सीमा समीक्षा बैठक दिनांक 20.11.2017 का कार्यवाही विवरण।

आज दिनांक 20.11.2017 को समय सीमा बैठक कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमें श्री छोटे सिंह अपर कलेक्टर, सुश्री संजना जैन अपर कलेक्टर, तथा प्रभारी अधिकारी/नगरीय एस.डी.एम. एवं विभाग जिला प्रमुख उपस्थित रहे।

1. **समाधान ऑनलाईन** :– माह दिसम्बर में होने वाली समाधान ऑनलाइन के ऐजेण्डे अनुसार तैयारी के निर्देश सभी संबंधित को दिये गये। सी.एम.हेल्प लाइन में 300 दिन से अधिक व 500 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई। सभी अधिकारियों को आज ही परीक्षण कर निराकरण के निर्देश दिये गये।

2. **उर्जा विभाग** :– जिले में बिजली से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आम जनता के सामने आ रही हैं। विभिन्न समाचार पत्रों में इस आशय की खबरें छप रहीं है। जिसमें बिजली का बिल अधिक आना तथा बिजली मीटरों को घरों के बाहर स्थापित करने की समस्या प्रमुख हैं। आम जनता परेशान है। शहरी क्षेत्र में केम्प लगाने के निर्देश बिजली विभाग को दिये गये।

3. **स्कूल शिक्षा** :– अतिशेष शिक्षकों के निराकरण के लिए नस्ती 25 तारीख तक श्रीमति सुरभि गुप्ता अपर कलेक्टर ग्रामीण को प्रस्तुत करने के निर्देश डी. ई. ओ. को दिए गए।

4. **भावान्तर योजना एवं समर्थन मूल्य** :– भावान्तर योजना के अन्तर्गत किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके व्यापक इंतजाम तथा देख–रेख सुनिश्चित की जाये तथा प्रत्येक कृषि उपज मंडी में सतत् निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग के निर्देश सर्व संबंधित अधिकारियों को दिये गये ।

   भावान्तर की राशि वितरित किये जाने हेतु 2.62 करोड़ रूपये का आबंटन आया है। मंडी सचिव ने बताया कि एक हेक्टेयर में 9 क्विं. उड़द मूंग का उत्पादन के हिसाब से पंजीकृत किसानों को भावान्तर की राशि दी जाना है। यह बात सामने आई है कि 311 कृषकों ने उत्पादन से अधिक का विक्रय दिखलाया है। इनमें से जो भी वास्तविक रूप से संदिग्ध है जिन्होंने औसत से अधिक विक्रय

किया है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर पेमेंट रोके जाकर सही किसानों को प्राथमिकता देकर भुगतान किया जाए।

5. **वृक्षारोपण डॉक्यूमेन्टेशन** :– पूर्व बैठक में निर्देश दिये गये थे कि 2 जुलाई एवं उसके बाद जिले में सम्पन्न हुए वृहद वृक्षारोपण को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड हेतु डॉक्यूमेन्टेशन का कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है विगत सप्ताह में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा सर्व संबंधित अधिकारियों की बैठक अतिरिक्त मुख्य संरक्षक वन की उपस्थिति में ली गई थी जिसमें ए.सी.एस. महोदय द्वारा रिमार्क किया गया कि उक्त डाक्यूमेन्टेशन के कार्य मे जबलपुर पीछे चल रहा है । उनके द्वारा समय सीमा भी नियत की गई है । खमरिया, जी.सी.एफ. अन्य सभी सुरक्षा संस्थानों केन्ट आदि में हुए वृक्षारोपण को गिनीज बुक में दर्ज करने डॉक्यूमेन्टेशन सभी से संपर्क कर पूर्ण कराने के निर्देश जिला योजना अधिकारी को दिये गये । आर्मी एरिया की डॉक्यूमेन्टेशन रिपोर्ट कैसे तैयार होगी । रेल्वे का भी डॉक्यूमेन्टेशन कार्य नही हो रहा है । जिससे कार्य में प्रगति नही आ रही है । अपने–अपने क्षेत्र में काम करने के निर्देश सभी एस. डी. एम. को दिए गए।

6. **भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ प्रशासन** :– प्रत्येक माह की 3 तारीख को भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन सभी विभागों की जानकारी भेजी जाना है। सभी विभागों में केस बनाए जाने के निर्देश दिये गये । जे.डी लोक शिक्षण की जांच अपर कलेक्टर सुश्री संजना जैन को सौंपी गयी है। किसी भी शासकीय कार्यालय में शराब का सेवन करते पाए जाने पर जिला अधिकारी अपने कैम्पस के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं।

7. **विधान सभा** :– सभी अधिकारियों को पुनः निर्देश दिए गए कि विधान सभा के प्रश्न का उत्तर समय सीमा में भेजें।

8. **धान खरीदी** :– खरीदी केन्दों पर पर्याप्त लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये। गोडाउन/वेयर हाउस एवं समिति में ही खरीदी केन्द्र खोले जाने के निर्देश दिये गये।

9. **रबी की बोनी** :– पूर्व बैठक में निर्देश दिये गये थे कि जिले में 2.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की बोनी का लक्ष्य है । रबी सीजन में लक्ष्य अनुसार बोनी पूरी कराने कृषि विभाग को निर्देशित किया गया । सिंचाई विभाग को खेतों में नहरों से पर्याप्त पानी,एवं बिजली विभाग को सतत बिजली प्रदाय के निर्देश दिये गये ।

10. **राजस्व वसूली** :– सभी एस. डी. एम. डायवर्सन एवं नजूल की वसूली पर विशेष ध्यान दें । वसूली बढ़ाने के प्रयास किये जायें । बड़े बकायादार पर विशेष ध्यान देना है। रिवाइस लक्ष्य सर्कुलेट हो चुका है। अन्य जिलों की तरह यहां के राजस्व अधिकारी कार्य नहीं कर रहे है। कॉलोनी के सभी स्थानों में केम्प लगाएं। जिससे आसानी से लोगों के काम हों तथा वसूली भी हो।

11. **पी.आई एल. के मामले** :– पी.एल.आई के मामलों को सूची बद्ध कर रिप्लाई समय पर बनवाएं जाएं। सुश्री संजना जैन अपर कलेक्टर को निर्देश दिए गए कि जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं उनके नाम माननीय न्यायालय के ध्यान में भी लाया जाए ताकि उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही हो।

12. **खाद्य विभाग** :– खाद्य विभाग की आधार सीडिंग जुलाई 2017 से अपडेट नहीं है। इसे गंभीरता से लिया जाए।

13. **सब्जी के हाट बाजार** :– शहरी क्षेत्र में सब्जी विक्रय स्थलों को सूची बद्ध करें । उद्यान (डी.डी.एच.) को निर्देश दिये गये हाट बाजार को शामिल कर शासन को पत्र भेंजे। नगर निगम एवं नगरीय निकाय की सूची डी.डी.एच. को दी जा चुकी है। यह लंबे समय से टी.एल. में लंबित है।

14. **जनसुनवाई** :– पूर्व से निरन्तर निर्देश दिये जा रहे हैं कि जनसुनवाई को प्रभावी बनाना है। विभागीय अधिकारी इसे गंभीरता से लेंकर जन शिकायतों के निराकरण को प्राथमिकता दें।

15. **फसल कटाई प्रयोग** :– जिले में खरीफ मौसम के फसल कटाई प्रयोग लगभग 2400 होना है, जिसमें 1200 भू–अभिलेख एवं 1200 कृषि विभाग द्वारा किये जाना है । अभी तक 200 प्रयोगो की ऑन–लाइन फीडिंग हुई है । फीडिंग कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाये।

16. **मटर की आवक** :– मटर की आवक मंडी में बढ़ गई है । मंडी में 7000 बोरे मटर रोज आ रही है। मटर के रेट मंडी में 30–40 रू./किलो मिल रहे हैं, जो कि अच्छे संकेत हैं।

17. **आवारा गाय बछड़े** :– शहपुरा पाटन से लगभग 2500 मवेशी छोड़े गये, जो कि शहरी सीमा की ओर बढ़कर तिलवारा पुल की ओर गये और बाद में लापता हो गए ।इस कार्य में संलिप्त लोगों और उन तथ्यों को सामने लाने निर्देश दिये गये कि किन कारणों से ऐसी परिस्थितियां बनी । इसके जांच के आदेश अपर कलेक्टर सुश्री संजना जैन ग्रामीण को पूर्व बैठक में दिये गये थे। डी.डी.वी. के द्वारा पशुओं की मौत आदि की रिपोर्ट बनाई जाए तथा गौसंवर्धन केन्द्र एवं ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों की बैठक कर अधिक से अधिक मवेशियों को गौशाला पहुंचाय जाए तथा इनकी संगणना की जाये।

18. **कार्यालय में स्वच्छता** :– सभी शासकीय कार्यालयों/केन्द्रो में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। पान गुटके पर रोक लगायी जाये। कार्यालय मे स्वच्छता बनाये रखने के लिए सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के पान गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगाया गया । स्वच्छता के मानकों के अनुरूप कार्यालयों का रख–रखाव होना चाहिए । स्वच्छता में प्रत्येक माह रैंकिंग होगी। इसके लिए जिले में एक त्रिस्तरीय समिति गठित की गई। इसमें अपर कलेक्टर सुश्री संजना जैन, श्री रजत श्रीवास्तव, एवं श्री नमः शिवाय अरजरिया अनुविभागीय अधिकारी हैं। सभी कार्यालयों में पारदर्शिता, स्वच्छता, एंटी करेप्शन अवेयरनेस, पानी आदि की व्यवस्था, आई.एस.ओ. स्टेन्डर्ड मेन्टेन करने के निर्देश दिये गये हैं। जॉब ड्यूटी, जॉब चार्ट, फाइलिंग टेंगिग, मार्किंग आदि सभी तैयारी 10 दिनों में कर लिये जायें। एक निरीक्षण पंजी रखें। सी.एम.हेल्प लाइन की परफारमेंस प्रभावी जनसुनवाई, अभिलेखों का रख–रखाव कार्य शैली आदि कार्यों के आधार पर रैंकिंग की जायेगी।

19. **निर्वाचन कार्य** :– निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन अनुसार बी. एल. ओ. की नियुक्ति कर सूची बद्ध किया जाना है किन्तु एस. डी. एम. / तहसीलदारों द्वारा कार्य को गंभीरता से नहीं लिया गया है। जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं उनके विरूद्ध नोटिस जारी करने तथा सचिव सामान्य प्रशासन को पृष्ठांकन करने के निर्देश जिला उप निर्वाचन अधिकारी को दिये गये ।

20. **नर्मदा सेवा यात्रा** :– नर्मदा सेवा यात्रा का 11 दिसम्बर को एक वर्ष पूर्ण हो रहा है। वर्षगांठ का एक बड़ा कार्यक्रम जिले में माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के लिये स्थल का चयन किया जाये, व तैयारी प्रारंभ की जाये। भेड़ाघाट का स्थल ज्यादा ठीक प्रतीत हो रहा है। सभी लोग विचार करें।

21. **सी. एम.हेल्प लाइन** :– एल–4 में स्कूल शिक्षा विभाग की 121, उर्जा विभाग–120, पंचायत–84, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण –79, जन योजनाएं नगर निगम–75, सामाजिक न्याय–74,, वन विभाग–66 संस्थागत वित्त–लीडबैंक.–57, पशुपालन–56, कृषि–46, मनरेगा–45, चिकित्सा शिक्षा–43, इन्दिरा आवास–27, पिछड़ा वर्ग–27, उच्च शिक्षा–26, कौशल विकास–25 एकीकृत बाल विकास–24, स्वच्छ भारत(पंचायत)–21, राजस्व विभाग–19, पुलिस–19, सामान्य प्रशासन–19, पी.एच.ई–18, सहकारिता–17, राज्य शिक्षा केन्द्र–15, मंडी–14, एम.पी.आर.टी.सी–13, हथकरघा–13, गृह निर्माण मंडल–12, जिला उद्योग–12, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क–12, लोक निर्माण विभाग–11, श्रमायुक्त–10, की क्रमानुसार पेंडिंग शिकायतें समीक्षा में पाई गई। जिसके अतिशीघ्र निराकरण के निर्देश दिये गये।

22. **वन विभाग–टी.एफ.आर.आई** :– वन विभाग टी.एफ.आर.आई कैम्पस में स्थित केन्द्रीय स्कूल का अनुदान वन विभाग द्वारा बंद करने से मई 2017 से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। टी.एफ. आर.आई डायरेक्टर को पत्र लिखा जाए। ऐसे निर्देश अपर कलेक्टर श्री छोटे सिंह को दिये गये।

23. **नस्तियों का संधारण** :– सभी को निर्देश दिये गये हैं किनस्तियों का संधारण नियमानुसार किया जाना चाहिए। वित्त वर्षवार नस्ती बनायी जानी चाहिए। नोटशीट पर विषय, प्रभारी लिपिक का नाम, प्रभारी

अधिकारी का नाम नस्ती का क्रमांक अंकित होना चाहिए। नोटशीट तथा नस्ती में पेजिंग हो तथा आवश्यकता अनुसार फ्लेगिंग की जानी चाहिए। कलेक्टर को प्रस्तुत की जाने वाली विभागों की नस्तियां अपर कलेक्टर/सी.ई.ओ. जिला पंचायत के माध्यम से ही प्रस्तुत की जायें। तत्संबंध में सभी अधिकारियों को पत्र भी जारी किया गया है।

जनप्रतिनिधियों, कमिश्नर कार्यालय, लोकायुक्त तथा आर्थिक अपराध ब्यूरो, मानव अधिकार आयोग, हाईकोर्ट के प्रकरण तथा अन्य विभागों की शिकायतों एवं समय सीमा के प्रश्नों की विभागवार समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए कि ऐसी शिकायतों पर गंभीरता दिखाई जाकर त्वरित निराकरण किया जाये।

उक्त निर्देशों के साथ मीटिंग सधन्यवाद समाप्त की गई।

कलेक्टर
जबलपुर

पृ.क्र/8891/अधीक्षक/टी.एल/2017 जबलपुर दिनांक 21 नवम्बर 2017.

प्रतिलिपि :–

7. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर।
8. जिले के समस्त विभाग प्रमुख को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जबलपुर